लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5604
06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कच्चे माल की उच्च लागत

5604. श्री गणेश सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे माल की उच्च लागत से भारतीय मिलों को अधिक खर्च करना पड़ता है और इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुशल मूलभूत निर्यात अवसंरचना, वित्त और विपणन सुविधाओं तथा नवोन्मेष आदि की कमी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयात शुल्क की घटी हुई दर भी एक चुनौती बन रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या भारत में श्रम कानून जटिल हैं और ओवरटाइम भुगतान की दर, भविष्य निधि और पेंशन निधि आदि में वैधानिक योगदान बहुत कम है तथा इस प्रकार उनकी कुल मजदूरी 45 प्रतिशत तक कम हो जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): कच्ची कपास सहित कच्ची सामग्री का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों से संचालित होता है। कपास अंतर्राष्ट्रीय कारोबार वाली वस्तु होने के कारण इसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के सापेक्ष परिवर्तित होता है।

(ख) तथा (ग): वस्त्र हेतु पीएलआई योजना, एमएमएफ तथा तकनीकी वस्त्र क्षेत्र जो देश में एक उभरता हुआ एक औद्योगिक क्षेत्र है, की कमियों को दूर करने, और वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाना प्राप्त करने में सफल बनाने के लिए है ताकि यह प्रतिस्पर्धी बन सके। सरकार ने प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्वस्तरीय संरचना का विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड क्षेत्रों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम-मित्र) पार्कों की स्थापना करने को भी अनुमोदित किया है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु एकीकृत व्यापक और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा का विकास करने के लिए है। यह लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनायेगी। यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक वस्त्र बाजार में स्वयं को मजबूती से स्थापित करने में सहायक होगी।

इसके अलावा, सरकार प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए और अधिक रोजगार सृजन और निर्यात हेतु क्षमता रखने वाली वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जो स्वदेशी वस्त्र विनिर्माण के लिए अंतत: आर्थिक और लागत प्रोत्साहन निर्मित करेगी।

(घ): जी नहीं।

(ड़) और (च): भारत में श्रम कानून जटिल नहीं हैं। ओवरटाइम दर का प्रावधान कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत उपलब्ध है और भविष्य निधि और पेंशन निधि के अंशदान से संबंधित प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत उपलब्ध हैं।

*****